रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224932
CG-DL-E-04022021-224932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942
No. 474] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

का.आ. 524(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण पंजाब (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पंजाब कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
1.	श्री हरदीप सिंह गुजराल हाउस नंबर 56, ओमेक्स टाउनशिप। चंडीगढ़-140901	अध्यक्ष;
2.	प्रोफेसर (डॉ.) आदर्श पाल विग वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	सदस्य;
3.	अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण पंजाब, के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी हैं।

4. प्राधिकरण, पंजाब इस अधिसूचना पैरा 5 के अधीन पंजाब राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों (एसईएसी) की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा।

5. केंद्रीय सरकार, पंजाब की राज्य सरकार, के परामर्श से प्राधिकरण पंजाब की सहायता करने के लिए राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., पंजाब कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्: -

1.	श्री योगेश गुप्ता # 535-पी, एमडीसी सेक्टर -6, पंचकूला।	अध्यक्ष;
2.	श्री अनिल कुमार गुप्ता हाउस नंबर 18, इंजीनियर एन्क्लेव, 23 नंबर फाटक के पास, पटियाला	सदस्य;
3.	श्री के एल मल्होत्रा 2027-सी, ब्लॉक नंबर 22। सेक्टर -63, चंडीगढ़ -166062	सदस्य;
4.	श्री परमिंदर सिंह भोगल हाउस नंबर 623, फेज -3-ए, सेक्टर -35, मोहाली, एसएएस नगर – 160059	सदस्य;
5.	डॉ. पवन कृष्णन प्रोफेसर और पूर्व प्रमुख, फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड ड्रग रिसर्च, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला - 147002	सदस्य;
6.	प्रो. (डॉ.) प्रीत मोहिंदर सिंह बेदी समन्वयक, ड्रग एंड प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर -143005	सदस्य;
7.	श्री सतीश कुमार गुप्ता मकान नंबर 782-बी, अग्र नगर, लुधियाना -141012	सदस्य;
8.	डॉ सुनील मित्तल पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पंजाब का केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा - 151001	सदस्य;
9.	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पंजाब सरकार	सदस्य-सचिव

6. एस.ई.ए.सी. पंजाब के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, पंजाब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी हैं।

8. एसईएसी, पंजाब सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, -

IndiaCode

(क) प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी पंजाब, के अध्यक्ष और सदस्य, यह घोषणा करेंगे कि वे किस परामर्शदाता संगठन के साथ सहयुक्त और परियोजना प्रस्तावक भी हैं:

(ख) प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी, पंजाब, के अध्यक्ष और सदस्य, परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना परियोजना, तैयारी के साथ कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल दौरान प्राधिकरण, पंजाब और एसईएसी, पंजाब द्वारा अंकन किया जाना है; और

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में, प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी, पंजाब के अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई किसी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है या ईआईए अध्ययन प्रदान करता है, तो उस घटना में ऐसे प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में वे खुद को प्राधिकरण, पंजाब और एसईएसी, पंजाब की बैठकों से हटा देंगे

10. पंजाब राज्य सरकार, प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी, पंजाब के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण पंजाब और एसईएसी, पंजाब के अध्यक्ष और सदस्यो, को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते पंजाब राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भुगतान किए जाएगे।

[फा. सं. जे -11013/43/2007—आईए.II (I)]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2021

S.O. 524 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Punjab(hereinafter referred to as the Authority, Punjab) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Hardeep Singh Gujral House No. 56, OMAXE Township. New Chandigarh-140901	Chairman;
2.	Professor (Dr.) Adarsh Pal Vig Department of Botany & Environmental Science, Guru Nanak Dev University, Amritsar	Member;
3.	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Science, Technology and Environment, Government of Punjab	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Punjab shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Punjab shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Punjab.

5. For the purpose of assisting the Authority, Punjab, the Central Government in consultation with the State Government of Punjab, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Punjab) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Yogesh Gupta #535-P, MDC Sector-6, Panchkula.	Chairman;
2.	Shri Anil Kumar Gupta House No. 18, Engineers Enclave, Near 23 No. Fatak, Patiala	Member;
3.	Shri K. L. Malhotra 2027-C, Block No. 22. Sector-63, Chandigarh-166062	Member;
4.	Shri Parminder Singh Bhogal House No. 623, Phase-3-A, Sector-35, Mohali, SAS Nagar - 160059	Member;
5.	Dr. Pawan Krishan Professor& Former Head, Pharmaceutical Sciences and Drug Research, Punjabi University, Patiala - 147002	Member;
6.	Prof. (Dr.) Preet Mohinder Singh Bedi Coordinator, Drug and Pollution Testing Laboratory, Guru Nanak Dev University, Amritsar-143005	Member;
7.	Shri Satish Kumar Gupta House No. 782-B, Aggar Nagar, Ludhiana-141012	Member;
8.	Dr. Sunil Mittal Department of Environmental Science and Technology, Central University of Punjab, Bhatinda-151001	Member;
9.	Joint Director, Directorate of Environment and Climate Change, Government of Punjab	Member Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of SEAC, Punjab shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Punjab shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Punjab shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Punjab and SEAC, Punjab during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Punjab shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Punjab and SEAC, Punjab and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, traveling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Punjab and SEAC, Punjab shall be paid as per the rules of the State Government of Punjab.

[F. No. J-11013/43/2007-IA.II(I)]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.04 19:24:35 +05'30'